निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 39/18 दावा
दायरा दिनांक 12.03.2018
निर्णय दिनांक :–14.09.2021

उनवान

रविन्द्र कुमार पुत्र हेमराज जाति बैरवा निवासी ग्राम रटावद जिला बारां राज.

बनाम

1. पुष्पाबाई पुत्री धूलीलाल पत्नि केसरीलाल जाति बैरवा निवासी रटावद तहसील बारां .
2. प्रेमचन्द पुत्र केसरीलाल जाति बैरवा निवासी रटावद तहसील बारां जिला बारां।
3. कमलेश पुत्र केसरीलाल जाति बैरवा निवासी गेता तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
4. लखन पुत्र हेमराज जाति बैरवा निवासी रटावद तहसील बारां जिला बारां।
5. रेखा पुत्री हेमराज जाति बैरवा निवासी नीमोदा हरिजी तहसील दीगोद जिला कोटा।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील बारां जिला बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :–14.09.2021

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बी.एल.जैन एडवोकेट – वादी
2 श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट – प्रतिवादी .

अभिभाक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आ ाय का पे ा किया गया, कि ग्राम रटावद तहसील बारां मे खसरा नंबर 177 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नंबर 178 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नंबर 179 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नंबर 254 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 0.80 हैक्टर स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोरधन पुत्र नन्दा कौम बैरवा के नाम खातेदार कृषक दर्ज है, जिसको आगे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोन्धित किया गया है। कि गोरधन पुत्र नन्दा का दिनांक 10.11.1997 को ग्राम रटावद मे देहान्त हो गया है। गोरधन की पत्नि गंगाबाई थी, तथा इसकी पत्नी गंगाबाई का देहान्त गोरधन के जीवन काल मे ही हो गया था, तथा गंगाबाई की सगी बहिन पुष्पाबाई है, तथा पुष्पाबाई व गंगाबाई की शादी ग्राम रटावद मे ही हुयी, गंगाबाई की शादी गोरधन से हुयी तथा पुष्पाबाई की भाादी केसरीलाल के साथ हुयी। इस प्रकार केसरीलाल व गोरधन दोनो साडू थे, तथा दोनो ग्राम रटावद मे भी पास–पास रहते थे।

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

गोरधन की पत्नि गंगाबाई का देहान्त हो गया तो गोरधन अपने साडू केसरीलाल व सास पुष्पाबाई के साथ रहने लग गया तथा इन दोनो ने उसकी अंतिम समय तक सेवा की तथा इनकी सेवा से प्रभावित होकर गोरधन ने अपने जीवन काल में दिनांक 14.01.1995 को एक वसीयत केसरीलाल के पुत्र हेमराज के नाबालिंग पुत्र रविन्द्र जो वादी है, जिसकी उमग्र उस समय 5 वर्श थी, के नाम एक वसीयत लिखवाई तथा उसमें यह लिखा कि जब तक मै जिवित हूँ, वाद्रस्त भूमियो का मालिक मे रहूँगा, तथा मेरे मरने के बाद उपरोक्त भूमियो का मालिक रविन्द्र नाबालिंग बविलायत पिता हेमराज पुत्र केसरीलाल रहेगा। इसके बाद हेमराज भी दिनांक 15.02.1998 को ग्राम रटावद मे फोत हो गया। इस कारण गोरधन की सेवा पुश्पाबाई व हेमराज के पुत्रो ने की। यह वसीयत दिनांक 14.01.1995 की गोरधन की अंतिम वसीयत है, इसके बाद उसने कोई वसीयत नही की है।

चूकि इस प्रकरण मे वादी अपने आपको गोरधन का जरिये वसीयती वारिस होकर आ रहा है, तथा हेमराज की मृत्यु हो गयी है। इस कारण हेमराज के सभी वारिसान को पक्षकार बनाया गया है, ताकि भविष्य मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही आवे। वर्तमान समय में वादग्रस्त भूमियों को वादी ही का त कर रहा है। इस कारण वादग्रस्त भूमियां वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिये। इसके वादी ने प्रतिवादी क्रम 6 के विधिक प्रतिनिधियों से आग्रह किया किन्तु उन्होने कोई ध्यान नही दिया। इसके बाद दिनांक 11.12.2017 को प्रतिवादी क्रम 6 के विधिक प्रतिनिधि जिला कलेक्टर बारां को दिलाया, जिसकी मियाद 11.02.2018 को समाप्त हो गयी है, किन्तु उन्होने कोई सहायता नही पहुचायी है। वाद कारण दिनांक 11.12.2017 को देने व नीज दिनांक 11.02.2018 को नोटिस मियाद समाप्त होने पर ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां मे उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 की ओर से इकबाली जवाब दावा पे ा हुआ। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में बताया कि वादी का वाद स्वीकार किये जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2048–51 खाता संख्या 51, नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2052–55 खाता संख्या 51, नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2056–59, खाता संख्या 53, नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2060–63 खाता संख्या 53, नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2064–67 खाता संख्या 53 नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 61 नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 55, वसीयत नामा गोरधन पुत्र नन्दा जाति बैरवा निवासी रटावद द्वारा दिनांक 14.01.1995 को रविन्द्र पुत्र हेमराज नाबालिंग के पक्ष मे की गई। मृत्यु प्रमाण–पत्र गोरधन, मृत्यु प्रमाण–पत्र हेमराज पे ा किये गये।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम रटावद तहसील बारां मे स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोरधन पुत्र नन्दा जाति बैरवा के खाते मे दर्ज है। गोरधन पुत्र नन्दा का दिनांक 10.11.1997 को देहान्त हो गया है। गोरधन की पत्नी गंगाबाई थी, जिसका देहान्त गोरधन के जीवनकाल मे ही हो गया

उप खण्ड अधिकारी
बारॉ

Scanned with CamScanner

थी। गंगा बाई की सगी बहिन पुष्पाबाई है। गंगा बाई व पुष्पाबाई की शादी रटावद मे हुयी थी। गंगाबाई की शादी गोरधन के साथ, तथा पुष्पाबाई की शादी केसरीलाल के साथ हुयी। गोरधन की पत्नी का स्वर्गवास हो जाने के कारण गोरधन अपने साडू केसरीलाल के साथ रहने लग गया था। गोरधन के अंतिम समय तक केसरीलाल व उसकी पत्नी ने सेवा की थी। गोरधन ने अपने जीवनकाल में दिनांक 14.01.1995 को एक वसीयत केसरीलाल के पुत्र हेमराज के पुत्र नाबालिग पुत्र रविन्द्र जो वादी है, जिसकी उम्र 5 साल की थी, के नाम एक वसीयत लिखवाई, जिसमे यह लिखा गया था, कि जबतक मे जीवित हूँ, वादग्रस्त भूमि का मालिक मे रहूँगा, तथा मेरे मरने के बाद मेरी भूमि का मालिक रविन्द्र दत्तक पुत्र हेमराज पुत्र केसरीलाल रहेगा। हेमराज की मृत्यु 25.02.1998 को ग्राम रटावद मे हो गई थी। वसीयत दिनांक 14.01.1995 को गोरधन द्वारा की व अंतिम वसीयत है। मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2048–51, 2052–55, 2056–59, 2060–63, 2064–67, 2068–71, 2072–75, के अनुसार गोरधन पुत्र नन्दा जाति बैरवा साकिन देह के खातेदारी मे दर्ज होना पाया जाता है। प्रस्तुत वसीयत नामा दिनांक 14.01.1995 के अनुसार गोरधन पुत्र नन्दा जाति बैरवा निवासी रटावद द्वारा अपने खाते की आराजी की वसीयत रविन्द्र पुत्र हेमराज जाति बैरवा निवासी रटावद के पक्ष में किया जाना पाया जाता है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र गोरधन पुत्र नन्दा की मृत्यु 10.11.1997 होना दर्ज है। नकल मृत्यु प्रमाण–पत्र हेमराज पुत्र केसरीलाल की मृत्यु 15.02.1998 मे होना दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड से यह साबित होता है, कि विवादित आराजी मृतक खातेदार गोरधन पुत्र नन्दा जाति बैरवा के खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। वादी द्वारा एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा मृतक खातेदार को लाओलाद फोत होना कही भी वादपत्र में अंकित नही किया गया है। मृतक खातेदार गोरधन के कितने पुत्र व कितने पुत्रियां है, यह वादपत्र मे अंकित नही है। वसीयत अन्तिम ही मान्य होती है, परन्तु वादी के अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह साबित या स्पष्ठ होतो हो कि यह वसीयत ही अन्तिम है। वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेंचानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है, तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner